निलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर आदेश दिनांक 05.11.2019 के अनुसार मैसर्स नाईन अप्रेल्स प्राईवेट लिमिटेड (समापन में) के सामान तथा रेडीमेड गारमेन्ट्स (सूची संलग्न) का बेचान नीलामी द्वारा किया जाना है।

इच्छुक खरीददार नीलाम किये जाने वाले सामान का निरीक्षण दिनांक 22.02.2021 को 11.00 ए.एम. से 1.00 पी.एम बजे तक इस कार्यालय में कर सकते है तथा उसी दिनांक 22.02.2021 को 4.00 पी एम से नीलामी मे भाग ले सकते है। नीलामी की शर्ते नीचे दी गई है। उक्त सामान की नीलामी कार्यालय शासकीय समापक ''कारपोरेट भवन'' जी – 6 – 7, रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स, जयपुर–302001 में ''जहॉ है जैसी है'' के आधार पर की जायेगी।

दिनांक 25.01.2021

(यू.एस. पाटोले)
शासकीय समापक,
कॉरपोरेट भवन जी/6–7, रेजीडेन्सी एरिया,
सिविल लाईन्स, जयपुर–302001
फोन न. 0141–2981913, 2981914

बेचान की शर्ते:–

1. बोली लगाने वाले को बोली से पहले रूपये 5000/– धरोहर रकम अदा करनी होगी। सबसे अधिक राशि की बोली लगाने वाले के अलावा अन्य बोली दाता को मौके पर ही धरोहर राशि वापिस कर दी जावेगी। उक्त नीलामी प्रकिया में अधिकतम बोली से संबंधित रिपोर्ट माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी एवं माननीय न्यायालय के आदेशानुसार पूर्ण राशि एक मुश्त जमा करने पर सामान की सुपुर्दगी दी जायेगी। अधिकतम बोली की राशि में पूर्व मे जमा की धरोहर राशि रूपये 5000/– समायोजित की जायेगी।
2. शासकीय समापक/न्यायालय को बिना कोई कारण बताये बोली निरस्त करने का अधिकार होगा।
3. जिसके हक में बोली छूटेगी उन्हे निलामी का सामान उठाने में या अपने कब्जे में लेने के बाद कोई सामान का नुकसान (डेमेज) होगा उसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नही होगा।
4. यदि कोई टेक्स सामान पर देय होगा उसके लिए खरीददार स्वयं जिम्मेदार होगा।
5. शासकीय समापक और उसके प्रतिनिधि निलामी के सामान की किसी भी प्रकार की क्वालिटि मात्रा एवं सर्टिफिकेशन के उत्तरदायी नही होगे।
6. खरीददार को सामान का कब्जा पुरी राशि जमा करने के बाद दिया जावेगा।

(यू.एस. पाटोले)
शासकीय समापक,
कॉरपोरेट भवन जी/6–7, रेजीडेन्सी एरिया,
सिविल लाईन्स, जयपुर–302001
फोन न. 0141–2981913, 2981914